(28)

COURT FEE ... FIVE RUPEES ... TWENTY RUPEES

नवीन प्रकरण 2486/2015

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2015 निगरानी निगरानी 2486-दो-15

श्री आशीष सक्सेना, अभि०
द्वारा आज दि 3-8-15
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-8-15
राजस्व मण्डल म.प्र.

आशीष सक्सेना, अ०

1–राजवीरसिंह

3–श्यामवीर सिंह

3–रामबिटोली विधवा पत्नी अतरसिंह समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिलावली (परमाल सिंह का पुरा) तहसील पोरसा जिला मुरैना (म. प्र.).....

.............आवेदकगण / रेस्पोडेट्स

विरूद्ध

1– रामसखी विधवा पत्नी मुन्नासिंह

2– जगजीत सिंह का पुत्र गुमानसिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम परमालसिंह मौजा सिलावली तहसील पोरसा जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)...

....असल अनावेदकगण / अपीलांट्स

3– दिनेशसिंह

4– ओमवीर

5– प्रेमसिंह पुत्रगण मुन्नासिंह

6– रामकपूर सिंह पुत्र नाथूसिंह

7– जोरसिंह पुत्र नरोत्तम सिंह

8– शांति पुत्री साधू सिंह

9– राजाराम सिंह पुत्र यशपाल सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राग

(3)

सिलावली (परमालसिंह का पुरा)
तहसील पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.).......
.....पूरक अनावेदकगण / पूरक
रेस्पोडेट्स

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 26–06–15 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह तहसील अम्बाह जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) प्रकरण क्रमांक 134 / 2010–11 अ. भा. अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू. रा. संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत हैं–

1– यह कि ग्राम सिलावली तहसील पोरसा जिला मुरैना में भूमि खाता क्रमांक 364 / 2064 कुल किता 6 कुल रकवा 1.35 हेक्टेयर खाता क्रमांक 366 / 2064 कुल किता 2 कुल रकवा 0.61 हेक्टेयर खाता क्रमांक 366 / 2064 कुल किता 2 कुल रकवा 0.57 हेक्टेयर खाता क्रमांक 367 / 2064 कुल किता 1 कुल रकवा 0.30 हेक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि के सेवध में न्यायालय तहसीलदार पोरसा के यहां बंटवारा आवेदन पत्र आवेदक क्रमांक 1 लगायत 2 के पिता व आवेदक क्रमांक 3 के पति एवं आवेदक क्रमांक 4 व 5 ने विधिवत् प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 17 / 2007–2008 x अ / 27 पर न्यायालय तहसीलदार पोरसा के यहां पंजीबद्ध हुआ।

2– यह कि न्यायालय तहसीलदार पोरसा के द्वारा विधिवत् बंटवारा प्रकरण की तामील अनावेदक क्रमांक 1 व 2 / अपीलांट्स को जारी की। उक्त तामील अनावेदक क्रमांक 1 ने लेने से इन्कार किया। तथा अनावेदक क्रमांक 2 ने विधिवत तामील को प्राप्त किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार पोरसा ने अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय किया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2486-एक/15 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	